यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्राचार्य, श्री गुरु राम राय (पी.जी.) कॉलेज, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्राचार्य, श्री गुरु राम राय (पी.जी.) कॉलेज, देहरादून** के माह 12/2015 से 07/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री जितेंद्र सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री देवेंद्र कुमार दिवाकर सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री विजय पाल सिह नेगी, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 21-08-2020 से 26-08-2020 तक श्री शरत श्रीवास्तव, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री शैलेन्द्र कुमार ,लेखापरीक्षक एवं श्री सुधीर कुमार , सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 19.12.2015 से 29.12.2015 तक श्री दानिश इकबाल, व.लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 10/2013 से 11/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः

(अ) **प्राचार्य, श्री गुरु राम राय (पी.जी.) कॉलेज, देहरादून** का मुख्य कार्यकलाप छात्रो को शिक्षा प्रदान करना है।

(ब) **प्राचार्य, श्री गुरु राम राय (पी.जी.) कॉलेज, देहरादून** एवं इकाई द्वारा संचालित योजनाओं का भौगोलिक क्षेत्र सम्पूर्ण भारत है तथा यहाँ बीए, बीएससी, एमए एवं एमएससी पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**	**आवंटन**	**व्यय**	**आधिक्य**	**बचत**
2017-18	-	574.44	574.44	-	-
2018-19	-	627.20	627.20	-	-
2019-20	-	788.61	788.61	-	-
2020-21 (07/2020)	-	308.10	308.10	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख मे)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रा अवशेष**	**आवंटन**	**व्यय**	**अवशेष**
2017-18	UGC	26.53	138.28	39.78	125.04
2018-19	UGC	125.04	39.55	41.25	123.34

	RUSA	0	100.00	0	100.00
2019-20	UGC	123.34	4.98	26.23	99.68
	RUSA	100.00	0	70.00	30.00
2020-21(07/2020 तक)	UGC	99.68	0.72	12.29	_
	RUSA	30.00	0	0	_

(ii) इकाई को बजट राज्य सरकार, केंद्र सरकार से प्राप्त होता है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

प्रमुख सचिव → निदेशक → प्रबन्धक → प्राचार्य → कार्यालय अधीक्षक → लेखाकार

3. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **प्राचार्य, श्री गुरु राम राय (पी.जी.) कॉलेज, देहरादून** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्राचार्य, श्री गुरु राम राय (पी.जी.) कॉलेज, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2016 एवं 03/2019 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि के आधार पर किया गया।

4. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2 'ब'

प्रस्तर01:- निर्माण कार्यो के डीपीआर मे ₹ 1.19 लाख का contingency के रूप मे अनियमित रूप से प्रावधान कर वर्तमान तक ₹ 0.65 लाख का दोहरा भुगतान किया जाना

प्रमुख सचिव नियोजन विभाग उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 738/रा0यो0आ0/2011 दिनाक 17 जून 2011 जो विभिन्न तकनीकी विभागो के प्रमुख सचिव व विभागाध्यक्ष के साथ तकनीकी विषयो पर सम्पन्न कार्यशाला के निष्कर्षो पर कार्यवाही से संबन्धित है, के बिन्दु संख्या 02 के अनुसार " विभिन्न विभागो के प्राक्कलन मे पाया गया है कि कंटिजेंसी के अतिरिक्त overhead charges का भी प्रावधान किया जा रहा है जो एक ही प्रकार के कार्यो कि द्विरावृत्ति है। साथ ही contingency शीर्षक के अंतर्गत सम्मिलित मदों का प्रावधान मे प्रथक से भी किये जाने के मामले प्रकाश मे आये है। contingency का प्राविधान लोक निर्माण विभाग कि दर अनुसूची मे निहित रहता है। अतः तदनुसार ही contingency का प्राविधान प्राक्कलन मे किया जाय तथा contingency के अंतर्गत सम्मिलित मदों का प्राविधान कदापि प्रथक से न किया जाय।"

अभिलेखो के निरीक्षण मे पाया गया की वर्ष 2016 के DSR के analysis of rate के अंतर्गत basic rate मे 15 प्रतिशत CPOH (Contractor profit and overhead) जोडकर भुगतानित दर का प्रावधान किया गया था ।

महाविद्यालय द्वारा उक्त DSR की दरो पर कराये गये निर्माण कार्यो के प्राक्कलनो के निरीक्षण मे प्रकाश मे आया की डीपीआर मे प्रथक से भी कंटिजेंसी का प्रावधान किया गया था। जिसके कारण जहां एक ओर निर्माण कार्य की लागत मे वृद्धि हुई, वही दूसरी ओर कार्यदायी संस्था को overhead और contingency के रूप मे दोहरा भुगतान किया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान महाविद्यालय के निम्नलिखित निर्माण कार्य मे विसंगतियाँ प्रकाश मे आयी

क्रम संख्या	योजना का नाम	निर्माण कार्य कुल मूल लागत	निर्माण कार्य पर अवमुक्त राशि	Contingency @ 4 या 3 प्रावधानित	वर्तमान तक कंटिजेंसी के अंतर्गत भुगतानित राशि	दरो हेतु प्रयुक्त DSR
1.	Smart room, cycle stand and another development work	135.35	70.00	1% (रु 1.19 lakh)	0.65 लाख	डीएसआर 2016

उपर्युक्त प्रारूप से स्पष्ट था कि DSR 2016 की दरो मे CPOH को 15% शामिल करते हुए दरे निर्धारित की गयी थी। जो उत्तराखंड शासन के वर्ष 2011 के शासनादेश के अनुसार था। किन्तु कार्यदायी संस्था द्वारा DSR की दरो के अतिरिक्त contingency की प्रथक दरे भी प्राक्कलन बनाते समय लागत मे शामिल की गयी। जो उक्त शासनादेश एवं DSR मे विहित overhead के विपरीत थी।

जिससे जहां एक ओर निर्माण कार्य की लागत मे वृद्धि हुई। वही दूसरी ओर कार्यदायी संस्था को दोहरा भुगतान किया जा रहा था ।

तथ्यो को इंगित किये जाने पर अवगत कराया गया कि बिल्डिंग कमेटी और कार्यदायी संस्था के सामने प्रकरण को रखा जायेगा। जो भी निर्णय होगा लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जायेगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था, शासन के उक्त निर्णय मे यह स्पष्ट है कि overhead और contingency के रूप मे द्विरावृत्ति नहीं होगी। एक का ही भुगतान किया जायेगा । अतः दोनों का प्रावधान कर लागत मे शामिल करने से जहां एक ओर निर्माण कार्य की लागत मे वृद्धि हुई, वही दूसरी ओर कार्यदायी संस्था को दोहरा भुगतान भी किया गया।

अतः निर्माण कार्यो के डीपीआर मे रु 1.19 लाख का contingency के रूप मे अनियमित रूप से प्रावधान कर वर्तमान तक रु 0.65 लाख का दोहरा भुगतान किये जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग-2 'ब'

प्रस्तर 02:- शासन के अनुमोदन के बिना भूमि और विशिष्टियों मे परिवर्तन कर रु 132.45 लाख के निर्माण कार्यो को आरंभ कराये जाने एवं रु 56.09 लाख का व्यय (जुलाई 2020 तक) किया जाना

रूसा के द्वितीय चरण के अंतर्गत मई 2018 को उच्च शिक्षा विभाग, रूसा रिसोर्स सेंटर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा महाविद्यालय को रु 2.00 करोड़ अनुदान दिये जाने हेतु चयन किया गया था। जिसमे से 90 प्रतिशत अनुदान रूसा द्वारा तथा शेष 10/05 प्रतिशत प्रबंध तंत्र द्वारा किया जाना था। जून 2018 मे विभिन्न कार्यो की डीपीआर कार्यदायी संस्था ब्रिड्कुल द्वारा तैयार कर संयुक्त निदेशक रूसा को प्रेषित कर दी गयी थी। जिसके अनुमोदन के पश्चात जनवरी 2019 मे उत्तराखंड शासन द्वारा रु 189.21 लाख (सिविल कार्यो हेतु रु 132.45 लाख एवं अधिप्राप्ति के कार्यो हेतु रु 56.76 लाख) की धनराशि का अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रथम किस्त के रूप मे रु 100.00 लाख की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। स्वीकृति की जा रही सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग 31 मार्च 2019 तक करके उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराना था। कार्यो को सम्पन्न करने हेतु दिनांक 11.02.2019 को कार्यदायी संस्था एवं उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखंड के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। समझौता ज्ञापन के अनुसार परियोजना प्रारम्भ करने की तारीख 24.02.2019 एवं समाप्ति की तारीख 23.02.2020 थी। परियोजना के निर्माण/कार्यान्वयन मे विलंब की स्थिति मे 0.1 प्रतिशत (3 माह तक विलंब के लिए) अथवा उसके बाद 0.25 प्रतिशत प्रतिमाह की कटौती निर्माण एजेंसी को देय प्रतिशत प्रभार (सेंटेज प्रभार) से की जानी थी ।

अभिलेखो के निरीक्षण से प्रकाश मे आया मई 2019 को प्रबंध तंत्र ने चयनित भूमि के स्थान पर महाविद्यालय के मुख्य भवन के तृतीय तल पर तीन स्मार्ट-कक्षो के निर्माण कार्य कराने के निर्देश दिये गये थे। जिसके संबंध मे परियोजना प्रबन्धक ने अपने पत्रांक 128 दिनांक 11/05/2019 द्वारा महाविद्यालय को सूचित किया गया था कि वर्णित परियोजना शासन द्वारा स्वीकृत है एवं परियोजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार के संशोधन/अन्य प्रस्ताव को शासन स्तर से स्वीकृति के बिना कराया जाना संभव नहीं होगा। अतः भूमि स्थान मे संशोधन को शासन स्तर से स्वीकृत प्राप्त कराये। साथ ही महाविद्यालय के मुख्य भवन के तृतीय तल पर चिन्हित स्थान को तकनीकी दृष्टि से कराये जाने मे परियोजना प्रबन्धक ने असमर्थता व्यक्त की गयी थी।

अभिलेखो के अनुसार, महाविद्यालय द्वारा बिना शासन के अनुमोदन के पूर्व चयनित स्थान मे परिवर्तन कर महाविद्यालय के नवनिर्मित साइकिल स्टैंड के उत्तरी दिशा मे स्मार्ट कक्षो का निर्माण कार्य कराया जा रहा था । जिसमे समय-समय पर महाविद्यालय द्वारा निर्माण कार्य की विशिष्टियों मे परिवर्तन भी बिना शासन के अनुमोदन के मात्र बिल्डिंग कमेटी के निर्णय (अगस्त 2019) के आधार पर कराया जा रहा था। जुलाई 2020 मे उपलब्ध कराये गये भौतिक प्रगति आख्या के अनुसार मात्र 50 प्रतिशत कार्य करके रु 70.00 लाख व्यय किया जा चुका था । (निर्माण कार्य की छाया प्रति संलग्न)

महाविद्यालय से चयनित भूमि मे परिवर्तन एवं विशिष्टियों मे परिवर्तन का अनुमोदन शासन से प्राप्त कराये बिना तथा भूमि की टेस्टिंग कराये बगैर निर्माण कार्य परिवर्तित भूमि पर कराये जाने के संबंध मे तथा कार्य मे अत्यधिक विलंब के संबंध मे पूछे जाने पर महाविद्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि प्रबंध समिति द्वारा प्राथमिकता के आधार पर चयनित भूमि मे परिवर्तन किया गया तथा परिवर्तित भूमि मे कार्य आरंभ से पूर्व भूमि की टेस्टिंग नहीं की गई। कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करने के लिए कार्यदायी संस्था को अनुरोध किया गया है। अवशेष धनराशि रु 65.00 लाख प्राप्त होते ही कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योकि परियोजना प्रबन्धक ने अपने पत्रांक मई 2019 मे ही महाविद्यालय को सूचित कर दिया था कि परियोजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार के संशोधन/अन्य प्रस्ताव को शासन स्तर से स्वीकृति के बिना कराया जाना संभव नहीं होगा। फिर भी भूमि के स्थान मे परिवर्तन और विशिष्टियों मे परिवर्तन बिना शासन के स्वीकृति के की गई तथा कार्य मे विलंब किया गया। जिसके लिए पूर्णतया महाविद्यालय और प्रबंध समिति जिम्मेदार थी।

अतः शासन के अनुमोदन के बिना भूमि और विशिष्टियों मे परिवर्तन कर रु 132.45 लाख के निर्माण कार्यो को आरंभ कराये जाने एवं जुलाई 2020 तक रु 56.09 लाख का व्यय किये जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग-2'ब'

प्रस्तर 03:- यूजीसी सीपीई प्रथम चरण के द्वितीय किश्त ₹ 50.00 लाख एवं द्वितीय चरण के ₹ 100.00 लाख के अंतर्गत खरीदी गई सामाग्री एवं मरम्मत एवं जीर्णोद्धार के कार्यो मे क्रमशः उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली एवं पीडबल्यूडी-9 के नियमो का पालन न किया जाना ।

यूजीसी द्वारा सीपीई योजना के प्रथम फेस के द्वितीय किश्त के अंतर्गत जून 2017 रु 50.00 लाख की धनराशि तथा द्वितीय चरण के अंतर्गत जनवरी 2017 मे रु 100.00 लाख निर्गत किया गया था । राशि निर्गत करते समय यूजीसी द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि जीएफ़आर 2005 के मैनुअल के अनुसार कार्यवाही करे। कालेज यूजीसी के तहत क्रय सम्पत्तियों को Assets register मे अंकित करेंगे। तथा यूजीसी द्वारा निर्देशित पत्र के बिन्दु संख्या 16 के अनुसार वार्षिक लेखा अर्थात बैलेन्स शीट, आय और व्यय लेखा, प्राप्ति और भुगतान लेखा भी बनाया जायेगा । किन्तु अभिलेखो एवं बिल/बाउचरों की संपरीक्षा मे पाया गया कि प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण के अंतर्गत खरीदी गई सामग्रियों को उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार अर्थात रु 25000/- से अधिक की खरीद पर कोटेशन एवं रु 2.50 लाख से अधिक की खरीद पर निविदा प्रक्रिया का पालन से बचने के लिये सभी खरीदो को टुकड़े-टुकड़े के रूप मे फ़र्मों से सीधे खरीद की गयी। (संलग्नक अ एवं ब) जो अधिप्राप्ति नियमावली का पूर्णतया उल्लघन था। साथ ही renovation से संबन्धित कार्यो मे पीडबल्यूडी -9 मे दिये गये दिशानिर्देशों का पालन किये बिना कार्य कराया गया अर्थात न तो आगणन बनाया गया और न ही कार्यो की माप करायी गयी और न ही किसी अभियंता स्तर से कार्य की गुणवत्ता की ही जांच की गयी। जो निर्माण या मरम्मत कार्यो के लिए निर्देशित दिशा निर्देशों का उल्लघन था। साथ ही संपत्ति पंजिका भी नहीं बनाई गई एवं वार्षिक लेखा भी नहीं बनाया गया।

इस संबंध मे इकाई से पूछने पर बताया गया कि संबन्धित फ़र्मों को सूचीबद्ध (Empanelled) किये जाने के कारण टुकड़ो मे खरीद की गयी। तथा जानकारी के अभाव मे renovation का कार्य महाविद्यालय स्तर से कराया गया। तथा जानकारी के अभाव मे ही संपत्ति पंजिका एवं वार्षिक लेखा नहीं बनाया गया।

इकाई के उत्तर मान्य नहीं था क्योकि उत्तरखंड अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार एक ही प्रकृति के सामग्रियों की खरीद मे यदि कुल खरीद रु 25000/- से अधिक हो तो कोटेशन एवं रु 2.5 लाख से अधिक हो तो निविदा प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिये था। जो नहीं किया गया और एक ही प्रकृति की सामग्री बार-बार एक ही फर्म से टुकड़ो मे खरीद की गयी। जो अनियमित था। साथ ही यूजीसी द्वारा जारी दिशानिर्देश मे यह स्पष्ट था कि संपत्ति पंजिका एवं वार्षिक लेखा बनाया जाये जिसका पालन नहीं किया गया।

प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

संलग्नक-अ

Name of firm	Name of equipment	Total Amount
S D System technology	Electric wire and cable	1150/-
	Computer Adapter	1450/-
	UPS battery	750/-
	Optical Mouse and UPS	2199/-
	Combo Kit	700/-
	Pen drive and I ball wireless mouse	1650/-
	Antivirus	2500/-
	Antivirus	450/-
	Antivirus	450/-
	Toner	350/-
	PD 8 GB HP	350/-
	Mouse Foxin 4014	175/-
	Wi-Fi USB Adopter	1800/-
	AMC	35262/-
	AMC	78360/-
	Colour Toner	4200/-
	Mother board and dual core processor	3500/-
	CAMC	42,706/-
	CAMC	42,706/-
	SMPS	575/-
	AMC	39180/-
	Mouse dell	1,050/-
	Information KIOSK	88,500/-
	Screen and tripod	6,700/-
	Total (A)	**356713/-**
Ped Creation and Traders	PCTeX professional academic license	17261/-
	Computers	168396/-
	Projector, motorized screen and accessories	167894/-
	Upgra34792dation of Mathematica	34792/-
	Clevenger apparatus, soxhlet, waterbath & vaccum evaporator	192576/-
	Microcontrifuge	191750/-
	Rotary micrometer & SDS Page gel	73809/-
	Wave guide antenna trainer kit	133500/-
	Zoomax portable instant high speed scanner/Reader cum magnifier	76,500/-
	Total (B)	**1057478/-**
Office solution	Stationary	1,54,246/-
	Stationary	33054/-
	Stationary	13487/-

	Stationary	6099/-
	Stationary	3199/-
	Stationary	14872/-
	Water cooler/ project	53,689/-
	Total (C)	**278646/-**
HImgiri Traders	Chemicals for chemistry laboratory	1,06,528/-
	Chemicals	1,36,434/-
	Chemicals	10,620/-
	Chemicals for chemistry laboratory	112767/-
	Chemicals	98845/-
	Chemicals	45986/-
	Equipment for physical laboratory	21143/-
	FTIR	1499400/-
	Total (D)	**2031723/-**
Garg sales	Shelves and Almirah	100645/-
	Toatal (E)	**100645/-**
	Grand Total (A to D)	**38,25,205/-**

संलग्नक –ब

Name of Firm	Particular	Amount
K.G.Woodtech	Renovation & work in Lab	42,250/-
	Almirah Both side shutter	1,26,500/-
	Renovation & white wash	2,86,655/-
	Visitor chair	8850/-
	M.S. shuttering	5,310/-
	Chair of Zoology	5,900/-
	Aluminium door	11894/-
	Warden Window frame	20378/-
	AC Cover with fitting	8260/-
	Seminar hall platform	43660/-
	Wooden furniture	38900/-
	Showcase glass	28900/-
	Chair & table repair	44200/-
	Door frame and window frame	24250/-
	Table drawer notice board	44000/-
	Geology lab wooden work	48300/-
	Total	788207/-
Ped creation &traders	Geology Deptt. equipment	178150/-
	Physics deptt. equipment	48380/-
	CRO digital of physics deptt.	1,07,616/-
	Total A	**334146/-**
Shalimar construction	Construction work	254710/-
	Total B	**254710/-**
Soft mart	VPS server backup	7,080/-
	VPS server	31152/-
	AMC library software	23600/-

	Anti virus	6490/-
	VPS Server	7080/-
	AMC	47200/-
	Domain charge	24662/-
	Total C	**147264/-**
SD system technology	Computer repair	15480/-
	Computer repair	4150/-
	Printer repair	16450/-
	AMC	15593/-
	UPS battery	13625/-
	Printer	12200/-
	Hard disk	17400/-
	Total D	**94898/-**
Bio tech scientific	Physics equipment	250094/-
	Total E	**250094/-**
Sateshwar Prasad amoli	Comparative statement for heritage gallary	135046/-
	Electric & tile repair	54,952/-
	Alumini block (Principal room)	41833/-
	Roof repair	98520/-
	Himgiri trader	79,995/-
	GC and UC repair	108442/-
	Total F	**518788/-**
Office solution	Glass door and Almirah	71449/-
	Office expenses	17395/-
	Total G	**88844/-**
	Grand total A to G	**1688344/-**

भाग-2'ब'

प्रस्तर04:- दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर छात्रनिधि के अन्तर्गत रु 8.82 लाख की अधिक धनराशि प्राप्त किया जाना।

उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 649/XXIV(3)/2016-01(30)/2015 दिनांक 14.12.2016 के बिन्दु संख्या 2 (ix) के अनुसार राजकीय तथा अनुदानित महाविध्यालयों मे पाठ्यक्रमो का शुल्क निर्धारण शासन द्वारा किया जाएगा।

विध्यार्थी शुल्क मे एकरूपता लाने सम्बन्धी दिनांक 20.06.2017 को निदेशक उच्च शिक्षा की अध्यक्षता मे कुमाऊँ मण्डल और गढ़वाल मण्डल के प्राचार्यो की बैठक का आयोजन उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी मे किया गया। बैठक मे कुमाऊँ मण्डल तथा गढ़वाल मण्डल के महाविध्यालयों मे लिए जा रहे शुल्को पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी, निदेशक उच्च शिक्षा की सहमति के उपरांत उत्तराखंड मे स्थित महाविध्यालयों मे सत्र 2017-18 से छात्र निधियो के लिए शुल्क का निर्धारण किया गया। जिसके अंतर्गत छात्र संघ रु 50 प्रतिवर्ष तथा काशन मनी मे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

कार्यालय श्री गुरु राम राय (पी.जी.) महाविध्यालय देहरादून के छात्र निधियो के शुल्क सम्बन्धी अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि महाविध्यालय द्वारा छात्र संघ के अंतर्गत सत्र 2017-18 मे रु 100 तथा 2018-19 से वर्तमान तक रु 200 प्रतिवर्ष तथा काशन मनी के अन्तर्गत स्नातक मे रु 60 तथा परास्नातक मे रु 100 छात्र निधि के शुल्क के रूप मे लिए जा रहे थे, इस प्रकार सत्र 2017-18 से 2019-20 तक काशन मनी मे रु 163880 लिए जा चुके थे तथा छात्र संघ के अंतर्गत रु 717650 अधिक लिए गए थे (विवरण संलग्न)। काशन मनी की धनराशि छात्रों के विध्यालय छोडते समय वापस की जानी चाहिए थी, परंतु काशन मनी की राशि को छात्रो को विगत 5 वर्षो को कोई भी धनराशि वापस नहीं की गयी थी। और न ही धनराशि वापसी के संबंध मे कोई भी कार्यवाही की गयी।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि छात्र संघ मद मे अधिक धनराशि वसूल की जा रही थी तथा काशन मनी मद मे महाविध्यालय द्वारा छात्रो/छात्राओ से निरन्तर धनराशि ली जा रही थी तथा काशन मनी को वापस करने हेतु कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा था। इस प्रकार उच्चाधिकारियों के निर्देशों को न मानते हुये महाविध्यालय द्वारा छात्र संघ तथा काशन मनी के रूप मे रु 8.82 लाख की अधिक धनराशि प्राप्त की गयी।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर महाविध्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविध्यालय के अनुसार शुल्क लिया जाता है।
इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा गढ़वाल और कुमाऊँ मण्डल के समस्त महाविध्यालयों के लिए शुल्क का निर्धारण किया गया था, परन्तु महाविध्यालय द्वारा शुल्क संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया।
अतः दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर छात्रनिधि के अन्तर्गत रु 8.82 लाख की अधिक धनराशि प्राप्त किए जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II 'अ'**	**भाग-II 'ब'**	**STAN**
110/2013-14	-	1	1,2,3
162/2015-16	-	1,3	---

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
110/2013-14 एवं 162/2015-16	लम्बित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या शीघ्र ही तैयार कर उच्चतर अधिकारी की संस्तुति के पश्चात प्रधान महालेखाकार कार्यालय को अतिशीघ्र प्रेषित कर दी जाएगी।			

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----------शून्य----------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **प्राचार्य, श्री गुरु राम राय (पी.जी.) कॉलेज, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) शून्य

3. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र. सं.	**नाम**	**पद नाम**	**अवधि**
1	प्रो॰विनय आनंद बौड़ाई	प्राचार्य	14.12.06 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्राचार्य, श्री गुरु राम राय (पी.जी.) कॉलेज, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप-महालेखाकार/ए०एम०जी०-1, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, द्वितीय तल, "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, आई.पी.ई., देहरादून -248195** को प्रेषित कर दी जाय ।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

एएमजी-I